

#### कार्यालय समन्वयक पी.टी.ई.टी .एवं ४ वर्षीय प्री बी.ए.बीएड. / बी.एससी. बीएड 2018 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर दूरभाष: 0145-2787083-ई मेल-ptet2018@gmail.com, WEBSITE:www.ptetmdsu2018.com, www.ptetmdsu2018.org

क्रमांक:- एफ()पीटीईटी/मदसविवि/2018/ 7930 ।

दिनांक:- ५-1-19

#### निविदा सूचना संख्या 0 4

विश्वविद्यालय की वर्ष 2018 की पीटीईटी परीक्षा की प्रयोग में ली गई प्रश्न पत्र पुस्तिकाएँ (Booklets) एवं ओ.एम.आर. शीट्स जिनका अनुमानित वजन लगभग 25 टन है की बिक्री हेतु पंजीकृत एवं अनुमवी फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र मय शर्तों के विश्वविद्यालय के पीटीईटी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा सूचना व निविदा प्रपत्र पीटीईटी की वेबसाइट www.ptetmdsu2018.com तथा राज्य सरकार की वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा प्राप्त की अन्तिम तिथि 19 1 2019 को दोपहर 02:00 बजे तक है, निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 400/ – तथा धरोहर राशि रूपये 7000/ – बैंकर चैंक / डी.डी. द्वारा जमा करवाना आवश्यक है, प्राप्त निविदाएं उसी दिन 04:00 बजे खोली जायेगी।

पी.टी.ई.टी. एवं 4 वर्षीय बी.ए.बी.एड. / बी.एससी.बी.एड. 2018





# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर।

विक्रय योग्य सामग्री का अनुमानित मूल्य 3.50 लाख का निविदा मुल्क 400/-निविदा प्रस्तुत करने की दिनोक व समय दिनोक भि-1-1 प्रसम्य अपरान्द 02.00 बजे तक निविदा खोलने की दिनोक व समय दिनांक १९.।.। ९ समय अपरान्ह ०४.०० वजे तक

#### विश्वविद्यालय में रददी उठाये जाने संबंधित निविदा।

2	फोन नम्बर कार्यालय
3.	भोबाईल न ई-मेल का पता
4.	स्थानीय पूरा पता (यदि कोई हो तो) —
Б.	निदिदा शुल्क की चाँश डी.डी./बेंकर चैक संख्या दिनांळ
	रेखाफित पोस्टल ऑर्डर द्वारा जमा करा दी है।
6.	निविदा मुचना संख्या दिनांक जो कं
	संस्करण में प्रकाशित हुई में वर्णित समस्त शर्तों का पालमा करने लिए हम सहमत हैं। उक्त निविदा
	सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न पृथ्वों में दी गयी है, जिसके समस्त पृथ्वों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे
	द्वारा स्वीकार किये जाने प्रतिक स्वक्रय हस्ताक्षर कर दिये हैं, का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।
7.	दर्शांची गयी दरे विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक विभागों/अनुमानों पुस्तकालय भवनों में रखी स्द्दी
	अनुमोदित फर्म द्वारा उठाये जाने तक वैध होंगी है।
6.	बयाना शक्ति (Earnest Money) रूपये 7000/- की डी.डी संख्य/बैकर्स चेक दिनाक
	— द्वारा जमा करायी गयी है।
9.	सम्बन्धित सर्कल के आयकर अधिकारी का वेट/सेवाकर/शोधन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जा रही
	ti
10.	आयकर पेन नं/ जी.एस.टी.नं. की फोटो प्रति संलग्न की जा रही है।
11.	निर्वारित घोषणा पत्र संतरन है।
ENT	r ———
दिन	4



### महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर।

#### निविदा एवं संविदा की शर्ते अध्याय – 01

आवश्यक टिप्पणी :- निविदाकार को निविदा में अपने कोटेशन देते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पदना चाहिये।

 कोटेशन निविदा सूधना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में बन्द करके मेजे जाने चाहिये।

लिफाफं के ऊपर "रददी के लिये निविदा" उल्लेख साफ अक्षरों में लाल स्याही से लिखा आवे।

 दरों की ईकाइयों में किसी भी रिधांत में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये और दरें अंकों के साथ

शब्दों में भी आवश्यक लिखी जानी चाहिये।

 निविदा उन फर्मों / व्यापारियों द्वारा हो जो उस सामान का जिसके लिये निविदा दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय कर रहे हों दी जानी घाहिये।

"रद्दी जहाँ है जैसी है" के आधार पर अनुमोदित फर्म को निविदा की शर्तानुसार उढानी होगी। इच्छुक निविदादाता निस्तारण हेतु उपलब्ध रद्दी की निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निरीक्षण कर सकेंगे यदि इस सम्बन्ध में कोई संदेह हो तो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रमारी अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिये और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए।

6. निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेंसी को

सोंप सकेंगा और न ही किसी को आगे निविदा पर दे सकेंगा।

 सफल निविदावाता को रददी की सामग्री उठाते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि रददी नियत खान तक सुरक्षित रूप से पहुँचे, बिखरे नहीं । यदि ऐसा नहीं होने पर ऐसी हानी या कमी को पुरा करने के लिये निविदाकार उत्तरदायी होगा।

निविदाकार जिसकी निविदा स्वीकार की गई, को सम्पूर्ण माल पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर

उठा लेना होगा, इस अवधि में माल न उठाने पर निम्नानुसार शास्ती देना होगा :-

#### क्रसं. निर्धारित अवधी के पश्चात् सामग्री उठाने में विलम्ब अवधि

शास्ती की दर

1. प्रथम सात दिन की देश पर

रूपये 500/- प्रति दिन

द्वितीय सात दिन की देरी पर

सपये 700/- प्रति दिन

3. तृतीय सात दिन की देरी पर तथा 30 दिन तक रूपये 1000/- प्रति दिन 9. जिनकी दरें स्वीकार होगी उसको अनुमानित कुल मूल्य की एक चौथाई राशि कुलसचिव, म0द0स0 विश्वविद्यालय, अजमेर के नाम बैंक ड्राफट/नकद में सिक्यूरिटी मनी (प्रतिभूति राशि) के रूप में दर स्वीकृती की सूचना मिलने के 07 दिवस में आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। सिक्यूरिटी (प्रतिनूति राशि) फर्म द्वारा सम्पूर्ण माल उठा लेने एवं संतोषप्रद रूप से कार्य निष्पादन के एक माह में पल्प बनाने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर लौटा दी जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

10. यदि इस माल के अलावा कोई अन्य सामान बाद में बेचने लायक हुआ तो उसे मौके पर ही बतला दिया जायेगा तथा निविदादाता उनकी भी दरें निविदा की अंतिम तिथि से पूर्व दे सकते

艺

11. निविदा स्वाही से मरी जानी चाहिये। पेंसिल से या अन्य किसी चीज से मरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा में कोई परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए। कोई उपिरलेखा (ओवर राईटिंग) नहीं किया जाना चाहिए। शुद्धियाँ, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए तथा उन पर लद्ध हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

12 निविदाकार को निविदा और करार की शर्तों और प्रतिबंधों की स्वीकृति स्वरूप निविदा के प्रपत्र

के प्रत्येक पुष्ट पर अंत में हस्ताक्षर करने चाहिये।

13. सफल निविदादाता को सामग्री का प्रत्येक लॉट उठाने से पूर्व सामग्री के विक्रय मूल्य की राशि अग्रिम विश्वविद्यालय कोष में जमा कराकर रसीद समिति को प्रस्तुत करनी होगी। इसके पश्चात्

ही समिति द्वारा फर्म को सामग्री उठाने की अनुमति दी जायेगी।

14. सामग्री का पैंकिंग एकत्र कर समिति की उपरिधति में विश्वविद्यालय परिसर में ही निर्धारित स्थान पर कॉटे पर तुलवाने, ट्रक में लदान हेतु अमिकों की ध्यवस्था सफल निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। सफल निविदादाता फर्म को सामग्री एकत्र करने, पैंकिंग करने, तुलवाने, ट्रक में लदान कराने का सम्पूर्ण कार्य दिवसों में कार्यालय समय में समिति की उपस्थिति में निर्धारित कार्यवधि में कराना होगा।

15. निविदा के साथ बयाना की राशि (Earnest money) के निविदानुसार रूपये बैंकर चैक/डी.डी. (डिमान्ड डाफट) के रूप में संलग्न होनी चाहिए। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। डिमान्ड ड्राफट समन्वयक पीटीईटी 2018 मदसविवि, अजमेर के पक्ष में होना चाहिए।

बयाना राशि के लिये चैक स्वीकार्य नहीं।

16 फर्मों को किये गये संदाय पर विप्रेषण व्यय (रेगिटेश चार्जेज) संविदाकारों द्वारा वहन किया

17. निविदाकार द्वारा सामग्री को उठाने का कार्य शर्त सख्यां 8 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर न करने पर कलसचिव को अधिकार होगा कि वह निविदाकार को सूचना दिये बिना उसकी जोखिम पर माल या उसका कोई माग अन्य को विक्रय कर दे तथा इस प्रकार होने वाली हानि को निविदाकार को वहन करनी होगी। तथा इस प्रकार किये गए विक्रय पर यदि कोई लाभ होगा तो निविदाकार उसका हकदार नहीं होगा।

18 निविदाकारों या उसके प्रतिनिधियों की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से की जानी वाली संयाचना

(कन्येंसिंग) के कारण संविदा अमान्य हो जायेंगी।

19. किसी भी निविदा को स्वीकार करने में विश्वविद्यालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उच्चतम निविदा ही हो। विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा अथवा उसके माग को बिना कोई कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिसके लिए निविदा दी गई है उसकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के विक्रय करने या विक्रय न करने के संबंध में

निर्णय हेत् कलसचिव सक्षम होगे।

20. निविदाकार निविदा के साथ अपरिहार्य रूप से जी.एस.टी. नं. एवं आयकर नं. तथा जी.एस.टी. शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगें परन्तु यदि क्रेता प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हो (जिन्हें अभिलिखित किया जाना चाहिए) कि निविदाकार जी.एस.टी. का शोधन प्रमाण पत्र किन्हीं वास्तविक कारणों से नहीं दे सका है तो प्राधिकारी निविदा पर विचार कर सकता है परन्तु वह निविदाकार को उक्त प्रमाण पत्र बाद में प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा। किन्तु प्रमाण पत्र हर दशा में कार्यादेश जारी होने से पूर्व प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

21. समस्त कानूनी कार्यवाहियाँ, यदि किसी भी पक्ष (सविदाकार) अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किये जाने की आवश्यकता पड़े तो अजमेर में स्थित न्यायालयों में ही प्राप्त करनी होगी, किसी

अन्य स्थान पर नहीं। एवं विवादास्पद स्थिति में कुलपति का निर्णय मान्य होगा।

22 फर्म को विक्रय की जाने वाली सामग्री की सुपूर्वगी विश्वविद्यालय की गठित समिति की उपरिवादि में समिति के सदस्यों के द्वारा अवलोकन एवं अनुमोदन किये जाने के पश्चात ही की जा सकेगी। सामग्री उठाने से पूर्व अनुमोदित फर्म को गठित समिति के सदस्यों की उपस्थिति में ही नियत स्थान पर सामग्री का वजन कराना होगा।

23. बिंड प्रस्तृत किए जाने की आखरी दिनांक के पश्चात् 90 दिवस तक वैद्य रहेगी।

24. किसी भी सामग्री की मात्रा का सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये विकय की कार्यवाही निरस्त की जा सकती है।

25. क्रेता चाहे तो विश्वविद्यालय से उठाई जाने वाली सामग्री का किसी भी प्रकार से होने वाली हानि आदि के लिये बीमा अपने स्वयं के खर्चे पर करा सकता है।

26. उपरोक्त शर्लों के अलावा निविदादाता द्वारा निविदा में जोड़ी गई किसी भी अन्य शर्त पर विचार नहीं किया जाएगा।

27. विक्रय शशि पर जी.एस.टी. यदि कोई देय होता है तो विश्वविद्यालय में माल उठाने से पूर्व प्रचलित दर पर राज कोष में जमा कराने के लिए विश्वविद्यालय में अलग से जमा कराना होगा। यदि जी.एस.टी. विभाग द्वारा इस संबंध में जी.एस.टी. कर की बकाया राशि जमा कराने हेतु मोटिस प्राप्त होता है तो फर्म को करवंचना हेत् उत्तरदायी माना जायेगा।

28. किसी भी शर्त की व्याख्या करने तथा शर्त में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से शिथिलता दिये जाने

का अधिकार कुलपति को ही आरक्षित है।

29. यदि इस माल के अलावा कोई अन्य सामान बाद में बेचने लायक हुआ तो उसे मौके पर ही बतला दिया जायेगा तथा निविदादाता उनकी भी दरें निविदा की अन्तिम तिथि से पूर्व दे सकते हैं।

30. रददी की लुग्दी बनाने का विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रमाण पत्र देना होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर मय मोहर एवं मोबाइल न. – पता–

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषण करता हूँ/करते है कि मैनें/हमने जिस सामग्री के लिए निविदा दी है उनका /उनके मैं/हम बोनोफाईड विनिर्माता/बोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/पंजीकृत डीलर हूँ। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि जा सकती है, पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना, मेरी /हमारी प्रतिमूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जावेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया है रदद कर दिया जावेगा।

निविदाकार के इस्ताक्षर पूर्ण पता एवं मोबाइल न. —

Wah

### महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर रद्दी के विक्रय हेतु निविदा अध्याय — 2 बिंड आमंत्रण

1. इस विश्वविद्यालय की रददी के विक्रय हेतु बिढ आमंत्रित की गई है।

बिड विहित बिड प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।

 बिंड सूचना राज्य सरकार के नियमों के अनुसार समाचार पत्रों में जारी करने के साथ राजस्थान सरकार की अधिकृत वैबसाइट sppp.rajasthan.gov.inएवं विश्वविद्यालय की वैबसाइट mdsuajmer.ac.in.uv प्रकाशित कर दी गई है।

4. बिड प्रपत्र उक्त वैबसाईटों पर उपलब्ध है जो कि इध्छुक फर्मों द्वारा डाउनलोड किया जा

सकता है।

5. बोलीदाता से अपेक्षित है कि वह बिड जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण बिड प्रपत्र का मली माति अध्ययन कर ले तथा विश्वविद्यालय के परिसर का निरीक्षण कर ले। इस संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु बिड प्रस्तुत करने से पूर्व समन्वयक पीटीईटी 2018 मदसविवि, अजमेर से सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विश्वविद्यालय किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है।

6. बोलीदाता, पूर्ण रूप से निविदा से मरी हुई तकनीकी बिंड एवं वित्तीय बि अलग-अलग लिफाफों में हाई कॉपी मय समस्त वांछित प्रपत्रों / संलग्नकों के, बिंड प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय में, बिंड सूचना में अंकित स्थान पर सहायक अनुभाग अधिकारी सामान्य प्रशासन अनुभाग के कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करवायेगा। निर्धारित समय के

पश्चात् प्राप्त बिढ पर विचार नहीं किया जाएगा।

गं बोलीदाता द्वारा बिंड के साथ अथवा उससे पूर्व बिंड शुक्क एवं अमानत धन राशि विहित रूप में जमा करानी अनिवार्य है जिसके बिना बिंड निरस्त समझी जायेगी। तथापि, यदि बोलीदाता किसी प्रकार की नियमानुसार छूट चाहता है तो उसे बिंड में उसका उल्लेख करते हुये संबंधित प्रपन्नों की स्व—सत्यापित प्रतियां सलग्न की जानी चाहिए अन्यथा उक्त बिंड को छूट के योग्य नहीं समझा जायेगा।

बोलीदाता द्वारा बिंड निर्धारित प्रारूप मय अनुलग्नकों के तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर व

मोहर लगाकर प्रस्तुत करेगा।

 विमाग को किसी भी बिंड को, पूर्ण अथवा भाग को, स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त बिंडों के बोलीदाताओं से कोई विचार दिमर्श नहीं किया जायेगा।

> समन्वयक पीटीईटी 2018 म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

### महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर रदवी के विक्रय हेतु निविदा

अध्याय - 3

कार्य का विवरण

 रद्दी का निविदादाता द्वारा किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में विश्वविद्यालय में आकर निरीक्षण किया जा सकता है ।

2. निविदा के साथ अमानत बयाना राशि क 7000/— (Earnest money) बैंक ड्राफट/बैंकर चैंक के रूप में जमा कराना अनिवार्य है । अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा । अमानत राशि के लिए चैंक स्वीकार नहीं किया जावेगा। सफल निविदादाता को कार्यादेश की राशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति धनराशि बैंकर चैंक /बैंक ड्राफट के रूप में निर्दिष्ट अवधि में जमा करानी होगी जो संतोषजनक कार्य पूर्ण होने पर तथा यदि किसी भी प्रकार की कोई राशि वसूली योग्य होती है तो वसूल व काटने के बाद शेष यदि बच्चती है तो ऐसी वसूली उपरान्त संतोषप्रय कार्य पूर्ण होने के दो माह के भीतर लौटायी जावेगी । इस धनराशि पर कोई ब्याज देव नहीं होगा ।

 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपित का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा । विधिक कार्यवाही की स्थिति में वाद अजमेर में ही दायर किया जा सकेंगा

अन्यत्र नहीं ।

4. असफल निविदादाता को बयाना/अमानत राशि (Earnest money) सफल निविदा दाता को दसें की स्वीकृति होने एवं कार्य आदेश दे दिये जाने के बाद एक माह में लीटा दी जावेगी और सफल निविदा दाता की अमानत राशि को उसके निवेदन पर प्रतिभृति राशि का भाग मानते हुए समायोजित की जा सकेगी तथा शेष प्रतिभृति राशि यदि जमा कराने योग्य रहती है तो वि.वि. में डी.डी./बैंकर बैंक जमा करानी होगी ।

 रद्दी सामग्री बिना कोई कारण बताए पूर्ण/आंशिक रूप से बेचना अथवा विकय स्थिगत किए जाने का अधिकार कलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को आरक्षित होगा

- 1

- 6. अनुमोदित फर्म / निविदावाता द्वारा निर्धारित अवधि में रद्दी सामग्री निर्धारित अवधि में न उठाने की स्थिति में कुलसबिव को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य निविदावाता / फर्म को उक्त उत्तर पुस्तिकाओं एवं अनप्रयुक्त प्रश्न पत्र का किसी अन्य फर्म को विक्रय कर सकें । इस प्रकार के विक्रय से यदि कोई हानि वि.वि. को होती है तो वह दोषी निविदावाता से वसूल की जा सकेगी ।
- उपरोक्त शर्तों के अलावा निविदा में किन्हीं भी अन्य शर्तों पर सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।
- किसी भी निविदा अथवा उसके किसी भी भाग को पूर्ण/आशिक रूप से बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कुलसचिव को आरक्षित है ।

9. उच्चतम दर पर विक्रय करने हेत् विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है ।

10. विक्रय किये जाने वाली रद्दी सामग्री विश्वविद्यालय में जहां है. जैसी स्थिति में है उन्हें यथावत

खुले ही वजन कराकर दिये जायेंगे ।

11. निविदा की अध्याय 1 के बिन्दु संख्या 08 के तहत विलम्ब की दण्डनीय राशि / परिनिर्धारित भुगतान की राशि प्रतिभृति राशि में से पूर्णतया काटी जा सकगी । यदि उक्त राशि कितपय कारणों से प्रतिभृति राशि से समायोजित नहीं की जा सकती हो तो फर्म शेष रही राशि क्रिकेट निक नक्का / डी.डी. के रूप में जमा कराने के लिए बाध्य रहेगी।

12 अंको तथा शब्दों में लिखी हुई दरों में यदि अंतर पाया जाता है तो दोनों दरों में से उच्चतम दर को निविदा के प्रयोजनार्थ मान्य एवं स्वीकार किया जाएगा।

13. विक्रय शशि पर जी एस.टी. लागू होने की स्थिति में विश्वविद्यालय में माल उठाते समय ही नियमानुसार प्रवित्त दर से राजकोष में जमा कराने के लिए अलग से जमा कराना होगा।

 नीलामी में प्राप्त वित्तीय बिंड पर यदि GST लागू होता है तो संवेदक को अतिरिक्त देना होगा।

## महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर रददी के विक्रय हेतु निविदा

#### अध्याय - 4

#### कार्य का विवरण

निविदा एवं संविदा की शर्ते एवं प्रतिबंध

 दरें रददी सामग्री हेतु प्रति किलोग्राम के हिसाब से राशि अंकित की जानी चाहिए एवं अंकों तथा शब्दों दोनों में ही लिखी जानी चाहिए । इस कार्यालय द्वारा जारी किए अथवा वैब साईट से डाऊनलोड किए गए टेण्डर फार्म के अलावा किसी दूसरे पत्र में अंकित दरें स्वीकार नहीं की जाएगी । अंकों तथा शब्दों में लिखी हुई दरों में यदि अंतर पाया जाता है तो दोनों दरों में से उच्चतम दर को निविदा के प्रयोजनार्थ संज्ञान में लिया जाएगा।

2. टेण्डर की हार्ड काँपी मोहर बंद लिफाफें में अमानत राशि रू 7000/- के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैंक के साथ दिनांक रिनांची समय अपरान्त राशि रू बजे तक समन्वयक पीटीईटी 2018 मदसविवि, अजमेर के पास पहुंच जाने चाहिए। डिमांड ड्राफट, समन्वयक पीटीईटी 2018 मदसविवि, अजमेर के पक्ष में बनवा कर निविदा के साथ संलग्न करें । चैंक स्वीकार नहीं किए जाएंगे । अमानत राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

3. समन्वयक पीटीईटी 2018 मदसविवि, अजमेर को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी टेंडर को बिना कोई कारण बताए आंशिक अधवा पूर्ण रूप से स्वीकृत अथवा निरस्त कर दें अथवा निस्तारण योग्य सामग्री को बिना कोई कारण बताए पूर्ण अथवा किश्तों में बेचा जा सकता है अथवा बेचना स्थिगत भी किया जा सकता है।

- 4. जिस निविदावाता की दरें स्वीकार होंगी उनको अनुमानित कुल मूल्य की चौथाई राशि समन्ययक पीटीईटी 2018 मदसविदि अजमेर के नाम बँक ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैंक से सिक्यूरिटी मनी के रूप में दर स्वीकृति की सूचना मिलने के सात दिन में आवश्यक रूप से जमा करानी होगी एवं निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार निर्धारित राशि रूपये 500/— का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्धादित करना होगा । सफल निविदावाता को प्रतिभृति राशि के अतिरिक्त सामग्री उठाते समय प्रत्येक लॉट की समिति द्वारा निर्धारित अनुमानित कीमत विश्वविद्यालय की लेखा शाखा में जमा करानी होगी। प्रत्येक लॉट की कीमत पूर्ण जमा होने पर ही माल उठा सकेगा । प्रतिभृति राशि का समायोजन किसी भी लॉट या अतिम लॉट की कीमत में नहीं किया जावेगा तथा प्रतिभृति राशि अध्याय 1 की शर्त संख्या 9 के अनुसार ही लौटाई जावेगी।
- 5. स्वीकृति पर सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यादेश प्राप्ति के 15 कार्य दिवस में माल न उठाने पर कुलसचिव को यह अधिकार होगा कि पुनः निविदा आमंत्रित कर अथवा अन्य निविदादाता को माल बेच सकें । इस प्रकार के विक्रय से यदि कोई हानि होती है तो हानि की रकम दोषी निविदादाता की जमा धरोहर/प्रतिमृति सांश अथवा दोनों से वसूल कर लें ।
- 6. माल की वजनी तादाद दी गई है वह अनुमानित है। माल कम या अधिक हो सकता है। माल उठाने पैंकिंग एवं तुलवाने लदान आदि का व्यय फर्म को ही वहन करना होगा ।
- निस्तारण योग्य सामग्री का निरीक्षण इच्छुक निविदादाता किसी भी कार्य दिवस में (प्रात: 11.00 से शाम 4.00 बजे तक) समन्वयक पीटीईटी 2018 मदसविवि, अजमेर से अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय परिसर में कर सकतें हैं ।
- किसी भी प्रकार की विवादास्पद स्थिति में कुलपित का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा । कानूनी कार्यवाही की स्थिति में राजस्थान में अजमेर स्थित न्यायालय ही क्षेत्रधिकार रहेगा ।
- उपरोक्त शर्तों के अलावा / विपरीत निविदादाता द्वारा निविदा में जौड़ी गई कोई भी अन्य शर्त कर्ताई मान्य नहीं होगी । संशर्त निविदा भी स्वीकार नहीं होगी ।
- नियिदाकार अपनी निविदा अधवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को साँप सकेगा और न किसी को आगे निविदा पर दे सकेगा ।



11. राजवीय निगम/कंपनी/उपक्रम/बोर्ड/शाजकीय विभाग को धरोहर एवं प्रतिभृति राशि को जमा कराने से छूट प्राप्त है । एसएसआई यूनिट्स को "प्रिफरेंस ऑफ इण्डस्ट्रीज रूल्स 1995" में अंकितानुसार सीमा तक ही छूट देय होगी ।

12 निविद्याकार को निविदा एवं संविदा की शर्तो एवं प्रतिबंधों की स्वीकृति के प्रतीकस्वरूप निविदाके प्रपत्र एवं निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में फर्म की शील लगाकर हस्ताक्षर करने हैं ।

13. निविदादाता माल (बुकलेट एवं ओ.एम.आर. शीट्स आदि) देख कर माल के वजन का अन्दाजा लगा कर टेण्डर दें । समस्त माल जिस स्थिति में जहा-जहां पर भी है कार्यालय से पूरा छठाना होगा । टेण्डर खुलने पर इस पर ध्यान नहीं दिया जावेगा कि अमुक माल उपर से अच्छा है और नीचे से खराब है ।

14. निबंधनों तथा शर्तों को मंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा पूर्णतः प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी । इस संबंध में विश्वविद्यालय

का विनिश्चय ही अंतिम होगा ।

15. सफल निविदादाला को कार्य सम्पादन प्रतिमृति की शशि (यदि उसमें अमानत राशि भी सम्मितित की हुई है) निविदा की शर्ता अनुसार संतोषप्रद रूप से कार्य निष्पादन के होने के पश्चात एवं समस्त संबंधित अनुमागों से सम्पूर्ण माल उठाने की सूचना अध्याय 1 की शर्त संख्या 9 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर एक माह में लौटा दी जावेगी। ऐसी कार्य सम्पादन

प्रतिभृति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

16. नेगोशियेसन्स के अन्तर्गत निविदादाता मूल निविदा में अंकित दरों से कम दरें अंकित करते हैं अध्वा कोई नई शर्त रखते हैं तो समिति को यह अधिकार होगा कि वह मूल निविदा की दरों को विश्वविद्यालय नियम के तहत स्वीकार कर लें । यदि नेगोशियेसन्स में मूल निविदा में अंकित दरों से अधिक दरें आती है तो समिति अधिक दरों को स्वीकार करने के लिए अधिकृत होगी ।

- 17. निविदा उन फर्मों / व्यापारियों द्वारा ही दी जानी है जो उन वस्तुओं के लिए बोनाफाईड डीलर हों जिसके लिए निविदा दी जा रही है, वास्तव में व्यवसाय कर रहा हो तथा फर्म के पास जी. एस.टी. नम्बर होना चाहिये।
- 19 निविदाकार को अपने कार्यालय व गोदाम के भू-गृह आदि का पूरा पता स्पष्ट रूप से देना चाहिए ताकि वहां जाकर निरीक्षण किया जा सके और उस व्यक्ति का नाम, पता व फोन नम्बर भी अवश्य वे जिससे इस कार्य हेतु सम्पर्क किया जा सके । ऐसे व्यापारियों जिन्होंने कारोबारनया ही शुरू किया जो उनके लिए अपने बैंकरों का परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

20. किसी भी हार्त में पूर्ण अथवा आशिक रूप से शिथिलता प्रदान करने का अधिकार कुलपति को

आरक्षित है ।

21. विश्वविद्यालय परिसर से सामग्री उठाने के पश्चात मिल में निजवाने की प्रक्रिया में यदि परिवहन वाहन को किसी स्थान पर रोका जाकर परिवहन विभाग द्वारा सीज कर लिया जाता है अथवा दुर्घटना आदि की स्थिति में संबंधित सीज चालान, पुलिस एफ.आई.आर. आदि की प्रति विश्वविद्यालय कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी तथा जिस वैकल्पिक वाहन के माध्यम से परिवहन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है उसका वाहन नं० व अन्य सूचना देनी होगी।

22 क्रय समिति उच्चतम दर प्रस्तावित करने वाली फर्म का दरों का बाजारी दरों का आंकलन

करके अनुमोदन करने या न करने के लिए अधिकृत होगी।

नि	विद	कार	के	हरत	RF
पता	-				-

Water

### महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर रद्दी के विक्रय हेतु निविदा अध्याय – 5

पात्रता के मानदण्ड (Eligibility Criteria)

 कम्पनी/एजेन्सी/फर्म के निदेशकों/कम्पनी सचिव/प्रोपराईटरों/साझेदारों/मालिक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बिंड गरी जाने की अवस्था में उस व्यक्ति को बिंड भरने हेतु निदेशकों/कम्पनी सचिव/प्रोपराईटरों/साझेदारों/मालिक द्वारा अधिकृत किया जाने वाले दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो कम्पनी/एजेन्सी/फर्म के निदेशकों/कम्पनी सचिव/प्रोपराईटरों/साझेदारों/मालिक फर्म के निदेशकों/कम्पनी सचिव प्रोपराईरों/साझेदारों/मालिक द्वारा सत्यापित होनी चाहिये।

विड मूल्य :- बोलीदाताओं को बिंड प्रपत्र के साथ निर्धारित बिंड मूल्य आवश्यक रूप से जमा करवाया जाना है जिसके बिना बिंड निरस्त समझी जायेगी। तथापित कोई बोलीदाता बिंड शर्तों के अनुरूप बिंड मूल्य में छूट पाना चाहता है तो उसे बिंड में इसका उल्लेख करते हुये समस्त आवश्यक प्रपत्र बिंड के साथ संलग्न करने होगे जिनके बिना

उसे छट का पात्र नहीं समझा जायेगा।

बोली प्रतिमृति (अर्नेस्ट मनी) :-ठेकेदारों / बोलीदाताओं को बोली अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) जिसका विवरण सुरक्षित धन राशि संबंधित अध्याय में दिया गया है के अनुसार आवश्यक रूप से बिंह जमा करवाने के समय जमा करवानी है। बोली अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) राशि के अमाव में बिंह निरस्त समझी जावेगी। तथापि कोई बोलीदाता बिंह शतों के अनुरूप सुरक्षित धन राशि में छूट पाना चाहता है तो उसे बिंह में इसका उल्लेख करते हुये समरत आवश्यक प्रपत्र बिंह के साथ संलग्न करने होंगे जिनके बिना उसे छूट का पात्र नहीं समझा जायेगा।

 बोलीदाता Undertaking प्रदान करेगा जिसमें वह प्रमाणित करेगा कि बोलीदाता कम्पनी/एजेन्सी/फर्म/केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा

Black Listed नहीं किया गया है।

- 5. बोलीदाता निर्धारित प्रारूप क्रिकाटकार में बोनोफाईड डीलर का प्रमाण पत्र संलग्न
- आयकर विमाग द्वारा जारी पेन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।
- GST पंजीयन की प्रति एवं गत वर्ष का वेट का चुकता प्रमाण संलग्न करावे

### महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर रद्दी के विक्रय हेतु निविदा अध्याय — 6

बिड अमानत राशि (Earnest Money)

बोलीदाता द्वारा तकनीकी बिंड के साथ बिंड अमानत राशि निम्न शर्तों के अन्तर्गत जमा करवाया जाना अपेक्षित है :--

ठेकेदार/बोलीदाता द्वारा बिंड में अभिलिखित किये अनुमानित मूल्य का 2% (दो प्रतिशत) रू० 7000/- अमानत राशि बिंड के साथ जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। बिना बिंड अमानत राशि के बिंड पर विचार नहीं किया जाएगा।

विड अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में समन्वयक पीटीईटी 2018 मदसविवि, अजमेर को देय स्वीकार की जाएगी।

- 3 असफल बोलीदाताओं की बिड अमानत का प्रतिदाय सफल बिड की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन अमानत प्रस्तुत करने के पश्चात् शीघ्र कर दिया जायेगा।
- 4 सफल बोलीदाता की बिंड अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी) को कार्य सम्पादन प्रतिमृति (Security Deposite) में समायोजन की जाएगी तथा शेष कार्य सम्पादन प्रतिमृति राशि (Security Deposite), करार के निष्पादन के समय ली जाएगी। यदि सफल बोलीदाता द्वारा पृथक से पूर्ण प्रतिमृति राशि जमा करा दी गयी है तो जमा कराई बिंड अमानत लीटा दी जावेगी।
- विड अमानत (अर्नेस्ट मनी) का समपहरण (Forfieture of Earnest Money) निम्नलिखित मामलों में बिंड अमानत राशि को समपहत कर लिया जाएगा।
  - जब बोलीदाता बिंड को खोलने के बाद किन्तु बिंड को स्वीकार किये जाने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।
  - यदि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार, का निष्पादन नहीं करता है
  - 3 जब वह विहित समय में कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
  - 4 जब बोलीदाता बोली स्वीकृति आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन अमानत जमा नहीं कराता है।
- 6 जमा कराई गई बिड अमानत राशि को समपद्धत करने से पूर्व युक्तियुक्त समय देते हुये बोलीदाता को नोटिस दिया जाएगा।

#### महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर रद्दी के विक्रय हेतु निविदा अध्याय – 7 बिंड की विधि

यह बिंड द्वि-स्तरीय बिंड सिस्टम आधारित है जिसमें प्रथम स्तर तकनीकी बिंड है तथा द्वितीय स्तर वित्तीय बिंड है। बिंड की विधि निम्नानुसार है।

विड टाइप की हुई या स्याही से लिखी हुई होनी चाहिये।

2 बोलीवाताओं द्वारा बिंड एक मुख्य लिफाफे में प्रस्तुत की जाये जिसके उपर के नाग में बिंड संख्या, बिंड का विषय स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। इसके साथ बोलीवाता

कम्पनी/एजेन्सी/फर्म का नाम भी स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिये।

3 निविदाए दो सील बन्द लिफाफे में निर्धारित समय पर प्रस्तुत करनी होगी प्रथम लिफाफे में कंवल तकनीकी बिंड रखी जानी चाहिये जिसके उपर बिंड संख्या व दिनांक, निविदा का विश्वय एवं बोलीदाता कम्पनी / एजेन्सी / फर्म के नाम के साथ तकनीकी बिंड रेखांकित करते हुये लिखा होना चाहिये। किसी भी लिफाफे के पृष्ठ माग पर कुछ भी नहीं लिखा जाये। दूसरे सील बन्द लिफाफे में वितीय बिंड का रखी जायेगी तकनीकी बिंड के वितीयय बिंड के सील लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील बन्द कर रखकर निविदा का नाम व निविदा फर्म का पूर्ण पता अंकित करना होगा।

 तकनीकी बिंड में बिंड प्रपत्र (भरा हुआ), बिंड — शर्तों की स्वीकार्यता के रूप में बिंड की प्रति, समस्त सामान्य एवं तकनीकी जानकारी, बिंड मूल्य, बोली प्रतिभृति, प्रमाण पत्रों एवं आवश्यक

दस्तावेजों की प्रतियां इत्यादि रखी जानी चाहिये।

तकनीकी बिंड का प्रत्येक पृष्ठ एवं वित्तीय बिंड पर बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ती द्वारा हस्ताक्षरित तथा कम्पनी/एजेन्सी/फर्म की मोहर लगा होना चाहिये।

6 बिड एवं संलग्न प्रपत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी (English) माथा में होने चाहिये।

बोलीदाता बिंढ प्राप्त करने, मरने, विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने तथा स्पष्टीकरण यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के दौरान होने वाले समस्त खर्चे स्वयं वहन करेगा। इस हेतु विभाग द्वारा कोई भी राशि देग नहीं होगी।

बोलीदाता से यह अपेक्षित है कि उसे कार्य की साईट, बिड की शर्ती एवं अन्य समस्त स्थानीय कानूनों एवं परिस्थितियों को पूर्ण ज्ञान होगा। ऐसा न होने पर होने वाले नुकसान और/अथवा अन्य प्रभाव के लिये बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विभाग किसी हतिपूति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

9 बिड, प्रस्तृत किये जाने की आखिरी दिनांक के पश्चात 90 दिवस तक वैदा होगी।

प्रकाशित बिंड में इंगित निविदा (तकनीकी बिंड एवं वित्तीय बिंड का पृथक-पृथक सील बन्द लिफाफे को बंडे सील बन्द लिफाफे में बन्द कर प्रस्तुत करना है।) प्रस्तुत किये जाने के अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त बिंड विलम्बित मानी जायेगी तथा उनको खोले बिना संबंधित फर्मों को लौटा दिया जायेगा।

11 विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी बिंड को उपापन समिति एवं बोलीदाता कम्पनी/एजेन्सी/ फर्म के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष प्रकाशित बिंड में इंगित तकनीकी बिंड खोले जाने के दिनांक एवं समय पर खोला जायेगा। तकनीकी बिंड का मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा। जिसमें ऐसी बिंड जो सम्पूर्ण हो तथा अध्याय 4 में वर्णित तकनीकी अर्हताएं पूरी करती हो को तकनीकी रूप से स्थीकृत बिंड घोषित किया जायेगा। जो बिंड अपूर्ण हो अथवा तकनीकी अर्हताएं पूरी नहीं करती हो उन्हें अस्वीकृत घोषित कर निरस्त कर दिया जायेगा।

12 तकनीकी रूप से स्वीकृत बोलीदाताओं की वित्तीय बिंड को उपापन समिति तत्संबंधित बोलीदाता कम्पनी/एजेन्सी/फर्म के उपस्थित प्रतिनिधियों के समझ पोर्टल पर खोला जायेगा। जिस हेत दिनांक एवं समय एवं स्थान की सचना तत्संबंधित बोलीदाता/कम्पनी/फर्म को

बिड में अंकित किये गये पते पर पत्र व ई-मेल पर दे दी जायेगी।

### महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर रद्दी के विक्रय हेतु निविदा अध्याय — 8 अपात्रता

- बोली निम्न कारणों से अपात्र घोषित की जा सकती है :-
- विड सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त हुई बिड ।
- विना पूर्ण बिड मूल्य एवं पूर्ण बिड अमानत राशि (Earnest Money) के जमा बिड। यदि इनमें छूट चाही गई है तो इसके लिये पात्रता साबित करने के लिये आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेजों की स्व सत्यापित प्रतियों के बिना प्राप्त बिड।
- 3 विभाग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण को न प्रदान कर पाना / तय समय से देशे से प्रदान करना।
- 4 एक से ज्यादा बिड प्रस्तुत करना। ऐसा होने पर फर्म द्वारा भरी गयी समस्त बिड तकनीकी मृल्यांकन में निरस्त की जा सकेगी।
- अपूर्ण व सशर्त बिड प्रस्तुत करना।
- 6 तकनीकी अर्हताओं का पूर्ण न कर पाना
- ग बोलीदाता अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का अवांक्रित रूप से प्रभाव डालना/डलवाना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टीकरण करना।
- 8 अल्प वैद्यता वाली बिंड प्रस्तुत करना।

### महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर रद्दी के विक्रय हेतु निविदा अध्याय — 9 बिंड का मूल्यांकन

→बिड का मृत्यांकन निम्नानुसार होगा :--

तकनीकी बिड, बिड-सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय तक प्राप्त होने वाली समस्त बिड उपापन समिति एवं कम्पनी/एजेन्सी/फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष निर्धारित तिथि एवं समय को खोली जावेगी। उक्त तिथि/समय में परिवर्तन होने पर नवीन तिथि की सूचना प्रदान कर दी जायेगी।

तकनीकी बिड खुलने के बाद इनको तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर बोलीदाताओं से उनके द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बिड में प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रपत्र/दस्तावेज पर स्पष्टीकरण भी मांगा जा सकता है जिसे बोलीदाताओं को तय समय सीमा में विमाग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाताओं द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार विभागीय उपापन समिति का होगा। बोलीदाता स्पष्टीकरण के जवाब में कोई भी नवीन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा। ऐसा करने पर नवीन दस्तावेज मान्य नहीं होगा।

उक्नीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात् अपूर्ण अथवा तकनीकी अर्हता पूर्ण नहीं करने वाली बिडों को अस्वीकार करते हुये अमान्य घोषित कर दिया जायेगा। तथा अन्य सभी बिडों को स्वीकार करते हुये उन की वित्तीय बिड खोली जायेगी।

अधिकतम दर बोलीदाता की दरों को समिति उचित होने पर स्वीकार करने की कार्यवाही करेगी। बोलीदाता द्वारा कार्यादेश को स्वीकार करने के साथ 7 दिवस में कार्य विश्वविद्यालय में कार्य सम्पादन प्रतिमूति राशि जमा करवाते हुये तत्संबंधित समय पर प्रचलित कानून/नियमों के अनुसार राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध एवं कार्य सम्पादन प्रतिमूति कार्यादेश प्राप्ति की प्रति से 7 कार्यदिवस की तय सीमा में प्रस्तुत करनी होगी।

Wat

# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर रददी के विक्रय हेतु निविदा अध्याय — 10 कार्य सम्पादन प्रतिभूति

(Performance Security)

कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security ) निम्नानुसार होगा :
1 कार्य सम्पादन प्रतिभूति सफल बोलीदाताओं द्वारा कार्य आदेश की राशि का 25 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति/कार्यादेश की दिनांक से 07 कार्य दिवस में जमा करानी होगी।

2 कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसन्तित वैक का डाप्ट या वैकर चैक किसी एक

कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक का ड्राफ्ट या बैंकर चैक किसी एक

रूप में दी जायेगी।

5

3 कार्य सम्पादन प्रतिभृति का समपहरण (Forfieture of Performance Security) :-निम्नलिखित मामलों में प्रतिभृति राशि का समप्रहत कर लिया जाएगा :-

जब संविदा में किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लधन किया गया हो।

2. जब बोलीदाता कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहता हो।

 जमा कराई गई प्रतिभृति निक्षेप को समपहृत करने से पूर्व युक्तियुक्त समय देते हथे बोलीदाता को नोटिस दिया जाएगा।

 बयाना राशि / प्रतिभृति निक्षेप की समपहृत की गई राशि संबंधित विभाग के शीर्ष अन्य प्राप्तियों में जमा करायी जाएगी तथा अन्तरण प्रविष्टि की व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

कार्य संपादन प्रतिभूति प्रतिदाय :- अनुबंध की अवधि समाप्त होने के 01 माह पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप बोलीदाता को लौटा दिया जावेगा। प्रतिभूति राशि, अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

बोलीदाता से वसूली की जाने योग्य शास्ति की राशि की वसूली उसके द्वारा लोट उठाते समय जमा अग्रिम राशि में से की जायगी। राशि अधिक होने पर कार्य

सम्पादन प्रतिभृति राशि में से भी की जा सकेगी।

बोलीदाता से वसूल की जाने योग्य राशि कार्य सम्पादन प्रतिभृति सशि से अधिक होने पर मांग पत्र जारी करने पर डी.डी. / बैंकर चैंक के द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी। इस मांग पत्र पर जमा नहीं कराने पर पी.डी.आर. एक्ट के तहत् वस्ती की जा सकेगी।



#### गहिष दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर रद्दी के विक्रय हेतु निविदा निविदा प्रपत्र तकनीकी बिंड अध्याय – 11

निविदादात की स्वयं सत्यापित फोटो

1.	बोलीदाता पंजीकृत कम्पनी/फर्म/स्वयंसेवी संस्था का नाम
2.	सम्पर्क हेत् अधिकृत व्यक्ति का फोन न / मोबाईल नं
3.	ई-मेल का पता
4.	ई-मेल का पता पंजीकृत संस्था द्वारा निविदा भरने वाले प्राधिकृत पदाधिकारी का भाम व पता मय फोन नम्बर एवं आई डी. प्रफ
5.	एवं आई डी. प्रूफ निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये /- बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चैंक संख्या
6.	बोली अमानत राशि रूपये /- बैंक ब्राफ्ट / बैंकर्स चैंक संख्या दिनांक बैंक का नाम
7.	आयकर विभाग द्वारा जारी पेनकार्ड की फोटो प्रति / पेन नं. संलग्न है
8.	बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप पर स्वयं प्रमाणित करेगा कि बोलीदाता/ कम्पनी को राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।
9.	GST पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। लागू नहीं होने की स्थिति में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10.	बोलीदाता निर्धारित प्रारूप किल्लाक स्थान में बोनाफाईंड डीलर का प्रमाण पत्र संलग्न करेगा।
	हस्ताक्षर व मोहर
	निविदादाता का पूर्ण नाम य पता मय फोन नं
	य पता मय फोन ने. ई—मेल



# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर निविदा – प्रपत्र (वितीय बिड)

2.	फर्म का नाम व पूर्ण ई—मेल का पता	पता मोबाईल न	
क.स.	विवरण	दर प्रति किलो (जी.एस.टी. अतिरिक्त) जो कि निविदादाता द्वारा वहन की जायेगी	विशेष विवरण
la:	बुकलेट्स	अंको में शब्दों में	
2.	ओ.एम.आर. शीट्स	अंको में शब्दों में	
रूर्ण उ	/हम अमानत राशि ज	नाम —	दा निरस्त करने व



# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

			करार का		
1.	इसके प्र वारिस, सरस्वती पश्चात	श्चात " उत्तराधि विश्ववि "विश्ववि	दिनांक को भ अनुमोदित क्रेंता' कहा गया है) ि कारी निष्पादक तथा प्रशासक स द्यालय, अजमेर के समन्यवक पीट  ह्यालय' कहा गया है) जिस उ था अमिहस्ताकिती सम्मिलित समझे	प्रस अभिव्यक्ति में जहां मिमलित समझे जाएंगे, टीईटी 2018 मदसविदि, मिथ्यक्ति में, जहां सं	संवर्भ के अनुकूल हो, उसके दूसरी और महर्षि वयानन्द अजमेर (जिन्हें इसमें इनके दर्भ के अनुकूल हो, उनके
2	मुख्याल	य पर इन् रीति के	क्रेता राजस्थान राज्य के महर्षि सक्रे साथ संलग्न निविदा प्रपत्र में अनुसार उल्लेखित दरों से विकर	रददी सामग्री के विकर	व हेतु संविदा के प्रतिबंधों में
3.	चूंकि अ रूप में	नुमोदित दिन जमा कर	क्रेता ने की र्ाक द्वास उपयुक्त । दी है ।	रकम डिमाण्ड ड्राफट/ करार के यथावत पालन	बैंकर्स चैक संख्या त करने के लिए प्रतिभूति के
4.	अब यह	लेख नि	म्ननांकित का साक्ष्य है :-		
	1.	अजमेर संदायों संलग्न	दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, के जरिए इसके साथ संलग्न ि में अनुमोदित क्रेंता निविदा प्रपत्र में अनुपयोगी स्टेश तथा निविदा की शर्तो एवं प्रतिबंधो	गविदा प्रपन्न में उल्लेखि गनरी/कागज एवं अस	ात वरों से किए जाने वाले (फर्म का नाम) बाई सामग्री की विक्रय हेत्
	2	साध र	और संविदा की शर्ते जो निविदा लग्न थी और इस इकरार के सा स करार को निष्पादित करने वाले	थ भी सलग्न है, इस व	दिनांक के हरार का अंग समझी जावेगी
	3.	अनुमोरि करेगा अजमेर	दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, देत क्रेता उपयुक्त रीति से उक्त तो महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्ववि के जरिये अनुमोदित क्रेता को उ सामान के लिए देथ रकम का सद	शर्तो तथा प्रतिबंधों के रिद्यालय, अजमेर समन्वय उक्त प्रतिबंधों में उल्लेरि	। मानेगा और उनका पालन क पीटीईटी 2018 मदसविवि, खेत रीति से तथा समय पर
	4.	इस क राहित	रार के अन्तर्गत कार्यादेश प्राप्ति व ) के भीतर सभी रददी सामग्री के	ही तारीख से 15 दिन । विक्रय हेतु ।	की अवधि (अवकाश के दिनों
	5.	विश्ववि निर्धारि	नेविदाकार करार में विनिर्दिष्ट क द्यालय अपने विवेकानुसार माल त नुकसानी जो शास्त्री होगी की (सार होगी:-	उठाने की अवधि निविद	राकार से करारानुसार परि-
		क्रसं.	निर्धरित अवधि पश्चात् चठाने में विलम्ब अवधि		स्ति की दर
		1.	प्रथम सात दिन की देरी पर द्वितीय सात दिन की देरी पर	907 907	पये 500/- प्रति दिन पये 700/- प्रति दिन



तृतीय सात दिन की देशै पर तथा 30 दिन तक रूपये 1,000 / – प्रति दिन

6. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर एतद द्वारा यह करार करता है कि यदि अनुमोदित केंता उपर्युक्त रीति से उक्त शर्ती तथा प्रतिबंधों को मानेगा और उनका पालन करेगा तो महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर समन्वयक पीटीईटी 2018 मदशविदि, अजमेर के जरिए अनुमोदित केता को क्रय किए गए सामान की डिलेवरी निम्न प्रकार से करेगा :--

िकत्य की जाने वाली सामग्री की ठिलीवरी यथा भरे हुए ट्रक / ट्रकों के सम्पूर्ण माल की अदावागी वैंकर चैंक / ड्राफट द्वारा कार्यालय में जमा कराने पर ही दी जावेगी। केता द्वारा सम्पूर्ण माल की कीमत चुका कर यथा निवमानुसार उठाने के पश्चात ही उसके लिखित प्रार्थमा पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिभृति राशि लीटा दी जावेगी। जिसमें करार के उपबंध सं.5 के तहत गणनीय शास्ती अथवा अन्य वसूल योग्य राशि यदि कोई हो, की कटौती की जा सकेंगी।

7. इस करार के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार के निर्वधन संबंधी समस्त प्रश्न विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चय किए जाएंगे तथा विश्वविद्यालय का विनिश्चय अतिम होगा । कानूनी कार्यवाही की रिथति में, अजमेर रिथत सक्षम न्यायालय ही क्षेत्राधिकार श्रीमा ।

जिसके सक्ष्य में इसके दोनों पक्षों ने दिनांक \_\_\_\_\_\_ को अपने हस्ताक्षर किए हैं अनुमोदित क्रेता के हस्ताक्षर विश्वविद्यालय के लिए तथा की और से हस्ताक्षर पदनाम

तारीख

साक्षी संख्या-1

साक्षी संख्या-2

तारीख

साक्षी संख्या-1

साक्षी संख्या-2

# महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर रददी के विक्रय हेतु निविदा

घोषणा पत्र (बोलीदाता व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/एजेन्सी के लेटर पेड पर)

	मै/हम/(कम्पनी/फर्म/एजेन्सी का नाम एवं पता)
करत	ग ∕ करती हूँ कि :-
1.	बिंड कमांक
2.	मेरे / हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी / हमारी कम्पनी / फर्म / एजेन्सी को केन्द्र / राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपकम द्वारा Black Listed नहीं की गया है।

हस्ताक्षर

नाम : पद : कम्पनी / फर्म / एजेन्सी नाम : कम्पनी / फर्म / एजेन्सी पूर्ण पता :

Quita

#### DECLARATION BY TENDERERS

[See Rule 48 (vii)]

I/We declare that I am/we are bonafide/Manufacturers/Whole Sellers/Sole distributor/Authorised dealers/Sole selling/Marketing agent in the goods/Stores/equipments for which I/We have tendered.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/our security may be forfeited in full and the tender if any to the extent accepted may be cancelled.

Signature of the tenderer

Water

# Annexure A : Compliance with the Code of integrity and No Conflict of interest

Any person participation in a procurement process shall -

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- not misrepresent or omit that misleads or so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- not indulge in any collusion, Bid rigging or anti -competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

#### Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's perfect that could improperly influence that party's perfect that the party is the par

that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with application laws and regulations. i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to.

a. Have controlling partners/shareholders in common: ot

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them, or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or

- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid'; or
- the Bidder or any of it's a ffiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid ;or

**Appellant Signature** 

Wate

#### Annexure B : Declaration be the Bidder regarding Qualifications Declaration by the Bidder

In	relation	to	may/our	bid	submitted	to
			for procu	rement of		
	*************		in response to	their No	tice Inviting Bio	is No
	*********		Dated		I/we h	ereby
					n Public Procure	
Act. 2	012, that:					

 I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity:

I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document:

 I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

 I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competitions;

Date: Place; Signature of bidder Name Designation; Address:



#### Annexure C: Grievance Redressed during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ----The designation and address of the Second Appellate Authority is ------

- (1) Filling an appeal
  - If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days form the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved; Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings; Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be
- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (4) Appeal not to lie in certain cases No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely;-
- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality,
- (5) Form of Appeal
  - (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form alongwith as may copies as there are respondents in the appeal.
  - (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated stated in the appeal and proof of payment of fee.
  - (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.
- (6) Fee for filing appeal
  - (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
  - (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

Water

- (7) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
  - (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
  - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
- (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies therof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or
- copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an
- order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
  - (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Appellant' Signature